

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 547
प्रार्थीणी

पारुदेवी पत्नि
गोकलाराम जाति जाट,
निवासी—मालपुरा तहसील
नोखड़ा, जिला बाड़मेर।

बनाम

दिनांक - 10.02.2025
अप्रार्थीगण

1 पुरखाराम पुत्र हीराराम जाति जाट,
निवासी जाति जाट, निवासी राईको की
ढाणी 2 मांगाराम 3 तगाराम पिसरान
खेताराम जति मेघवाल, निवासी राईको की
ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 4
तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 730 / 2024

दिनांक- 06/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईको की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 463 / 238 रकबा 06.6611 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीणी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 548- 551

दिनांक- 10.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीणी पारुदेवी पत्नि गोकलाराम जाति जाट, निवासी—मालपुरा तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पुरखाराम पुत्र हीराराम जाति जाट, निवासी जाति जाट, निवासी राईको की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर